न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

पीठासीन अधिकारी:– **विकास मोहन भाटी, R.A.S.**

राजस्व अपील संख्या: **10/2023** दायर दिनांक **21.07.2025**

अपीलार्थी

1. रामदेवाराम पुत्र स्व. गोपीराम जाति बावरी निवासी निम्बी खुर्द, तहसील डीडवाना जिला डीडवाना, राज.।

बनाम्

प्रत्यर्थीगण

1. सरपंच, ग्राम पंचायत निम्बी खुर्द, तहसील डीडवाना जिला नागौर (राज.)
2. प्रहलाद राम पुत्र पूर्णाराम जाति बावरी निवासी खुडी निम्बी, तहसील डीडवाना जिला डीडवाना राज.
3. बीरबल बावरी पुत्र जीवनराम जाति बावरी निवासी दौलतपुरा तहसील डीडवाना जिला डीडवाना राज.
4. प्रेम पुत्री स्व. गोपीराम
5. भंवरी पुत्री स्व. गोपीराम
6. मन्जु पुत्री स्व. गोपीराम जाति बावरी निवासी निम्बीखुर्द, तहसील डीडवाना जिला डीडवाना राज.

अपील विरूद्ध

नामान्तकरण संख्या 222 दिनांक 30.04.2024 बाबत् खसरा नम्बर 257, 459/494, 461, 503/457 व 511/457 वाके सरहद निम्बीखुर्द तहसील डीडवाना अन्तर्गत धारा– 75 L.R.Act.

उपस्थित:–

1. श्री इस्लामुदीन वकील अपीलार्थी।
2. श्री विश्वनाथ प्रतापसिंह वकील प्रत्यर्थी।

–:: निर्णय ::–

दिनाँक **30.03.2026**

यह है कि अपील के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि 1. मौजा निम्बी खुर्द, पटवार हल्का निम्बी कलां, खसरा सं. 257 रकबा 0.8700 हैक्टयर, खसरा सं. 459/494 रकबा 0.0300 हैक्टयर, खसरा सं रकबा 0.1800 हैक्टयर, खसरा सं. 503/457 रकबा 0. 0405 हैक्टयर, खसरा सं. 511/457 रकबा 0.3777 हैक्टयर अवस्थित हैं, जो खेत अपिलान्ट के पिता स्व. गोपीराम की पैतृक सम्पत्ति खेत रहा है, जिनके फोतगी पश्चात अपिलान्ट कि बहन सुप्यारी के नाम से खातेदारी आयी, अपिलान्टस कि सगी बहन सुप्यारी देवी नाओलाद फोत हो गयी, ना ही सुप्यारी ने अपने जीवनकाल में किसी को गोद लिया है, जिससे सुप्यारी के फोतगी नामान्तरण में अपिलान्ट व रेस्पोडेन्टस सं. 4 ता 6 का नाम दर्ज होना चाहिये था, जिसके बावजूद रेस्पोडेन्ट सं. 2 ने विधिविरुद्ध तरीके से अपिलान्ट कि बहन स्व. सुप्यारी के फोतगी नामान्तरण में अपना नाम से अपिलग्रस्त नामान्तरण [illegible] सं. 1 से मिलिभगत कर उक्त जैर अपिल नामान्तरण आदेश [illegible] [illegible] नहीं होने से खारिज योग्य है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Mohan Bhati
Date: 2026.04.10 15:33:11 IST
Reason: SelfAttested

Vikas
उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

अपील के आधार :—

कि मौजा निम्बी खुर्द, पटवार हल्का निम्बी कलां, खसरा सं. 257 रकबा 0.8700 हैक्टयर, खसरा सं 459/494 रकबा 0.0300 हैक्टयर, खसरा सं. 461 रकबा 0.1800 हैक्टयर, खसरा सं 503/457 रकबा 0.0405 हैक्टयर, खासरा सं. 511/457 रकबा 0.3777 हैक्टयर अवस्थित हैं, जो खेत अपिलान्ट के पिता स्व. गोपीराम की पैतृक सम्पति खेत रहे है, जो अपिलान्ट के पुर्वज स्व. गोपीराम व स्व. गोपीराम के फोतगी नामान्तरण से अपिलान्ट कि सगी बहन स्व. सुप्यारी के नाम राजस्व रेकार्ड खातेदारी कब्जा काश्त में रही होकर पैतृक कृषि भूमि हैं, जो पिढि दर पिढि चली आ कर वर्तमान में अपिलान्टस की पैतृक हक बंट अधिकार कब्जा काश्त खातेदारी की कृषि भूमि है, जिसके बावजूद रेस्पोडेन्टस सं. 2 ने गलत तथ्यों व मिथ्या तथ्यों पर त्रुटिपूर्ण जैर अपील नामांतरण करवाया, जिसका विधिक औचित्य जहीं होने व विधि के विपरीत होने से उक्त जैरे अपील नामांतरण को खारिज किया जाना न्यायसंगत है। अपिलान्टस कि बहन सुप्यारी नाओलाद फोत हो गयी व सुप्यारी ने अपने जीवनकाल में किसी को भी गोद पुत्र नहीं लिया है तथा सुप्यारी के पिता स्व. गोपीराम से सुप्यारी को प्राप्त खेत सम्पति में सुप्यारी के नाओलाद फोत होने के पश्चात सुप्यारी का सगा भाई अपिलान्ट व बहने रेस्पोडेन्टस सं. 4 ता 6 का ही हक हिस्सा निहित होने से सुप्यारी के फोतगी नामान्तरण में अपिलान्ट व रेस्पोडेन्टस सं. 4 ता 6 का नाम ही दर्ज होना चाहिये था, लेकिन रेस्पोडेन्टस सं. 2 ने रेस्पोडेन्ट सं. 1 को गलत कागज के आधार पर बिना हक अधिकार के उक्त जैरे अपील नामांतरण में अपिलान्ट व रेस्पोडेन्टस सं. 4 ता 6 का सुप्यारी के वारिस उतराधिकारी होने के बावजूद नामान्तरण में अपिलान्टस व रेस्पोडेन्टस सं. 4 ता 6 का नाम दर्ज होने से वंचित रखा है और गलत तोर पर बिना अधिकार के रेस्पोडेनटस सं. 2 ने अपना नाम त्रुटिपूर्ण दर्ज करवा लिया है, इसप्रकार जैर नामान्तरण सुप्यारी कि फोतगी नामान्तरण होने के बावजूद नामान्तरण में सुप्यारी के जायज वारिस अपिलान्ट व रेस्पोडेन्टस सं. 4 ता 6 का नाम ही नहीं उल्लेखित किया गया है तथा रेस्पोडेन्टस सं. 2 का बिना हक अधिकार नाम नामान्तरण में उल्लेख किया गया है, गलत व मिथ्या तथा आधे अधुरे तथ्यों पर नामान्तरण त्रुटिग्रस्त भरा गया है, जिससे जैर अपिल नामान्तरण शुरु से शुन्य व विधि के विपरीत होने से उक्त जैरे अपील नामांतरण को खारिज किया जाना न्यायसंगत है। सुप्यारी ने अपने जीवनकाल में उक्त खसरान भूमि का भोतिक रूप से मौके पर बंटवाडा मौखिक रुप से परस्पर सहमति से कर अपिलान्ट व रेस्पोडेन्टस सं. 4 ता 6 को प्रत्येक को 1/4 बंट हिस्सा दे कर मौके पर भोतिक कब्जा काश्त सम्भला दिया गया था, जिसके मुताबिक बं[illegible] अपने बंट हक हिस्से पर काबिज काश्त कर कायम होकर निरन्तर निब[illegible] रूप [illegible]भोग उपभोग कर आधिपत्य धारी हैं, जिससे उक्त जैरेअपील नामा[illegible] मौके का बि[illegible]रिक्षण किये व मौके की बिना जॉच रिपोर्ट तैयार किये ही मात्र का[illegible]से जैरे अपिल नामान्तरण का विधिक औचित्य नहीं होने व विधि के विपरीत होने से उक्त जैरे अपील नामांतरण को खारिज किया जाना न्यायसंगत है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Mohan Bhati
Date: 2026.04.10 16:33:11 IST
Reason: SelfAttested

vikas
उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

अपिलान्ट व रेस्पोडेन्टस सं. 4 ता 6 प्रत्येक का 1/4 पैतृक हिस्सा बंट जन्म से ही उक्त अपिलग्रस्त पैतृक खसरा भूमि में निहित है व हिन्दु उतराधि कार कानून के तहत भी तथा संवैधानिक कानूनन भी अपिलान्टस व रेस्पोडेन्टस सं. 4 ता 6 का 1/4 हिस्सा हक उक्त अपिलग्रस्त खसरा में होने के बावजूद ही कानून की अवहेलना कर बिना अपिलान्टस को सुनवाई का अवसर दिये जेर अपिल नामान्तरण भरा गया होने से उक्त जैरे अपील नामांतरण का विधिक औचित्य नहीं होने व विधि के विपरीत होने से उक्त जैरे अपील नामांतरण को खारिज किया जाना न्यायसंगत है।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थी वास्ते जवाबदेही हाजिर अदालत जरिये सम्मन तलब किये गये। प्रत्यर्थी संख्या 4 ता 6 स्वयं उपस्थित। प्रत्यर्थी संख्या 2 की ओर से अधिवक्ता श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह ने वकालतनामा पेश किया। प्रत्यर्थी संख्या 2, 4 ता 6 की ओर से जवाब पेश नही होने पर जवाब बंद किया गया। प्रत्यर्थी संख्या 1 व 3 बावजूद सम्मन तामिली अनुपस्थित रहने से एकपक्षिय कार्यवाही अमल में लाई जाने के आदेश दिये जाते है।

विद्वान अधिवक्तागणों की बहस सुनी गई। अधिवक्ता अपीलार्थी ने दौराने बहस कथन किया कि उक्त वर्णित खेत अपिलान्ट के पिता स्व. गोपीराम की पैतृक सम्पत्ति खेत रहे है, जो अपिलान्ट के पुर्वज स्व. गोपीराम व स्व. गोपीराम के फोतगी नामान्तरण से अपिलान्ट कि सगी बहन स्व. सुप्यारी के नाम राजस्व रेकार्ड खातेदारी कब्जा काश्त में रही होकर पैतृक कृषि भूमि है सुप्यारी नाओलाद फोत हो गयी व सुप्यारी ने अपने जीवनकाल में किसी को भी गोद पुत्र नहीं लिया है तथा सुप्यारी के पिता स्व. गोपीराम से सुप्यारी को प्राप्त खेत सम्पति में सुप्यारी के नाओलाद फोत होने के पश्चात सुप्यारी का सगा भाई अपिलान्ट व बहने रेस्पोडेन्टस सं. 4 ता 6 का ही हक हिस्सा निहित होने से सुप्यारी के फोतगी नामान्तरण में अपिलान्ट व रेस्पोडेन्टस सं. 4 ता 6 का नाम ही दर्ज होना चाहिये था, लेकिन रेस्पोडेन्टस सं. 2 ने विधिविरुद्ध तरीके से अपिलान्ट कि बहन स्व. सुप्यारी के फोतगी नामान्तरण में अपना नाम से अपिलग्रस्त नामान्तरण रेस्पोडेन्ट सं. 1 से मिलिभगत कर उक्त जैर अपिल नामान्तरण आदेश करवाया जो विधि विरुद्ध है व न्यायोचित नहीं होने से खारिज योग्य है।

प्रतिउत्तर में प्रत्यर्थी संख्या 2 के अधिवक्ता ने लिखित बहस पेश कर बताया कि रेस्पोडेन्ट सं० 2 प्रहलादराम को जाति रिति–रिवाज के अनुसार बाल्या अवस्था में ही सुप्यार व सुप्यार के पति रामूराम ने गोद ले लिया व जाति रिति–रिवाज के अनुसार परिवार व समाज के मौजिज व्यक्तियों के समक्ष गोद देने व गोद लेने की तमाम रश्में अदा कर गोद ले लिया तथा उस वक्त रेस्पोडेन्ट की माता सुप्यार देवी व पिता रामूराम दोनों की सहमति थी, मगर ग्रामीण परिवेश के अनपढ़ व कानून की ज्यादा जानकारी नहीं होने से गोद का पंजियन नहीं करा सकें। रेस्पोडेन्ट प्रहलादराम की शादी भी उसके गोद ग्रहिता माता सुप्यार देवी व पिता रामूराम ने ही की थी। जिस बात की जानकारी परिवार, समाज व गांव के हर व्यक्ति को थी। रेस्पोडेन्ट प्रहलादराम के गोद ग्रहिता माता सुप्यार देवी व पिता रामूराम के जाय[illegible] कोई पुत्र नहीं होने से सुप्यार देवी का झुकाव हमेशा पिहर पक्ष की तरफ रहा। इस कारण कई बार [illegible]न तक हो जाती तथा सिविल व राजस्व भूमि बाबत विवाद भी चलता रहता था। [illegible] देवी के पिता गोपीराम ने दोनों पति–पत्नी रामूराम व सुप्यार देवी के मध्य [illegible] करवा कर रहवासी

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Mohan Bhati
Date: 2026.04.10 16:33:11 IST
Reason: SelfAttested

Vikas
उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

प्लॉट अपनी भूमि में से 20,000/– रूपये में बैचाण किया, जिस प्लॉट में मकान का निर्माण भी कारीगर मेगाराम पुत्र रामबक्श जाति बावरी निवासी निम्बी खुर्द से करवाया तथा दोनों सुप्यार देवी व रामूराम भी मजदूर के रूप में कार्य करवाते थे। रामूराम ऊँट छकड़ा में बालिया से पत्थर व ईट्टे लेकर आता था। उक्त प्लॉट के चार दिवारी व लकड़ी का गेट भी चढ़ाया था। मगर उक्त प्लॉट की रजिस्ट्री गोपीराम ने नहीं करवाने के कारण पुनः अपने गांव खुड़ी आ गया। गोपीराम का स्वर्गवास भी आज से करीब 10–12 वर्ष पूर्व हो गया तथा गोपीराम के फौतगी नामान्तकरण में जायन्दा बेटी सुप्यार देवी का नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज हो गया तथा सुप्यार देवी ने अपनी खातेदारी की पैत्रिक सम्पति की भूमि में काश्त भी स्वयं करती थी तथा उसके पति रामूराम व गोद ग्रहिता पुत्र प्रहलादराम मी काश्त में इमदाद करता था। शादी के बाद रेस्पोडेन्ट प्रहलाद राम के पिता रामूराम व माता सुप्यार देवी एक साथ खुडी निम्बी में कई वर्षों तक साथ रहवासी मकान में रहते व अपनी पैत्रिक सम्पति की भूमि में काश्त करते थे, जिनका परिवार राशन कार्ड भी बने हुए है। दोनों का वोटर लिस्ट में भी पति–पत्नी का नाम रेकर्ड में दर्ज है। जिसकी नकल पेश कर दी जायेगी। माता सुप्यार देवी का स्वर्गवास दिनाक 28.03.2023 को हो गया तथा गोदनामा का पंजियन भी उस वक्त नहीं करवाने के कारण आगे कोई कानूनन अड़चन नहीं आये, इसलिए रामूराम ने पंजीकृत गोदनामा भी बना लिया, जिस पंजीकृत गोदनामा की इबारत में स्पष्ट उल्लेख है कि "प्रहलादराम दत्तक माता सुप्यार देवी के जीवन काल में ही पुत्र की तरह रहता है, लेकिन उस वक्त विधिवत लिखित गोदनामा नहीं करवाया गया, जो अब हम आप द्वितीय पक्षकार से करवा देना उचित समझते है", जिससे स्पष्ट है कि सुप्यार देवी के गोद ग्रहिता पुत्र प्रहलादराम ही है तथा सुप्यार देवी की चल व अचल सम्पति का एक मात्र हक व उत्तराधिकारी प्रहलादराम ही है। रेस्पोडेन्ट की माता सुप्यार देवी का स्वर्गवास दिंनाक 28.03.2023 को हो गया, जिसके अस्थियों हरिद्वार उसका गोद गृहिता पुत्र प्रहलादराम परिवार के साथ गया था, जिसके छाया चित्र लिखित बहस के साथ पेश है। सुप्यार देवी का मृत्यु प्रमाण–पत्र भी लिखित बहस के साथ पेश है। सुप्यार देवी के जायन्दा पुत्र या पुत्री नहीं होने के कारण पति व पत्नी में कई बार अनबन हो जाति थी, इस कारण से अपने पति रामूराम के विरूद्ध पैत्रिक सम्पति की कृषि भूमि विकय नहीं करने बाबत अपने पति रामूराम के विरूद्ध स्थगन आदेश भी प्राप्त कर लिया, जिसकी नकल लिखित बहस के साथ प्रस्तुत है। जिससे स्पष्ट हो जाता है कि सुप्यार देवी के मृत्यु के बाद उसकी चल व अचल सम्पति का एक मात्र उत्तराधिकारी प्रहलादराम ही है। गोपीराम के स्वर्गवास के बाद उक्त पैत्रिक सम्पति की भूमि में सुप्यार देवी जायज अधिकारीणी थी,इसलिए उसका नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज हुआ तथा सुप्यार देवी का एक मात्र गोद गृहिता पुत्र प्रहलादराम होने से उसके नाम नामान्तकरण विधि अनुसार राजस्व रेकर्ड में दर्ज हुआ। वादग्रस्त भूमि में प्रहलाद राम रेकॉर्डेड खातेदार था तथा अपने हिस्से की भूमि रेस्पोडेन्ट सं० 3 बीरबल बावरी के नाम साधिकार करवाई है, [illegible] उक्त नामान्तकरण निरस्त होने का कानूनन अधिकारी अपीलार्थी [illegible] पत्र व पैत्रिक सम्पति की भूमि बाबत कोई उज्जर आपत्ति [illegible] में वाद प्रस्तुत कर ही कार्यवाही की जा सकती है। नामान्तकरण [illegible] बाद जॉच संबंधित एजेंसीयों द्वारा किया गया है। जो कतई निरस्त किये जाने योग्य नहीं है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Mohan Bhati
Date: 2026.04.10 16:33:11 IST
Reason: SelfAttested

vikas
उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

वकील अपीलार्थी की बहस पर मनन किया एवं रेकर्ड का अवलोकन किया। अपीलार्थी मौजा निम्बी खुर्द के खसरा संख्या 257, 459/494, 461, 503/457, 511/457 में भरा गया नामान्तरकण संख्या 222 दिनांक 30.04.2024 विधि विरूद्ध होने से निरस्त करवाने की इस्तदुआ कर रहा है। उक्त नामान्तकरण के संबंध में अपीलार्थी का कथन है कि अपील वर्णित खसरान की भूमि अपीलार्थी के पिता स्व. गोपीराम की पैतृक सम्पत्ति खेत रहा है, जिनके फोतगी पश्चात अपिलान्ट कि बहन सुप्यारी के नाम से खातेदारी आयी है। तत्पश्चात् अपीलार्थी की बहन सुप्यारी ना औलाद फोत हो चुकी है। सुप्यारी ने अपने जीवनकाल में किसी को भी गोद पुत्र नहीं लिया है। अतः प्रत्यर्थी सं. 2 के नाम भरा गया नामान्तकरण विधि विरूद्ध होने से खारीज योग्य है। प्रत्यर्थी अधिवक्ता का मुख्य कथन है कि रेस्पोडेन्ट सं0 2 प्रहलादराम को जाति रिति–रिवाज के अनुसार बाल्या अवस्था में ही सुप्यार व सुप्यार के पति रामूराम ने गोद ले लिया व जाति रिति–रिवाज के अनुसार परिवार व समाज के मौजिज व्यक्तियों के समक्ष गोद देने व गोद लेने की तमाम रश्में अदा कर गोद ले लिया तथा उस वक्त रेस्पोडेन्ट की माता सुप्यार देवी व पिता रामूराम दोनों की सहमति थी, मगर ग्रामीण परिवेश के अनपढ़ व कानून की ज्यादा जानकारी नहीं होने से गोद का पंजियन नहीं करा सकें। माता सुप्यार देवी का स्वर्गवास दिनाक 28.03.2023 को हो गया तथा गोदनामा का पंजियन भी उस वक्त नहीं करवाने के कारण आगे कोई कानूनन अड़चन नहीं आये, इसलिए रामूराम ने पंजीकृत गोदनामा भी बना लिया, जिस पंजीकृत गोदनामा की इबारत में स्पष्ट उल्लेख है कि "प्रहलादराम दत्तक माता सुप्यार देवी के जीवन काल में ही पुत्र की तरह रहता है, लेकिन उस वक्त विधिवत लिखित गोदनामा नहीं करवाया गया, जो अब हम आप द्वितीय पक्षकार से करवा देना उचित समझते है", जिससे स्पष्ट है कि सुप्यार देवी के गोद ग्रहिता पुत्र प्रहलादराम ही है तथा सुप्यार देवी की चल व अचल सम्पति का एक मात्र हक व उत्तराधिकारी प्रहलादराम ही है।

हिन्दु उत्तराधिकर अधिनियम के अनुसार पिता के फौत होने के पश्चात् पैतृक सम्पति में पुत्र एवं पुत्रियों का बराबर हिस्सा तय होता है। उसके पश्चात् यदि कोई पुत्र या पुत्री नाऔलाद फौत होता है तो उसका हिस्सा अन्य भाई बहनों में स्थानान्तरित होता है। अपील में वर्णित नामान्तकरण दत्तक पुत्र की हैसियत से भरा गया है। उक्त नामान्तकरण भरने से पूर्व प्रत्यर्थी संख्या 1 को जांच करनी चाहिए थी कि प्रत्यर्थी संख्या 2 को सुप्यारी द्वारा अथवा सुप्यारी के जीवनकाल में सुप्यारी के पति द्वारा गोद लिया गया है अथवा नहीं। दौराने अवलोकन पाया गया कि अपीलार्थी की बहन सुप्यारी के पति रामूराम द्वारा प्रत्यर्थी प्रहलाद राम पुत्र पूर्णाराम को दिनांक 27.03.2024 को उप पंजीयक डीडवाना के समक्ष पंजीकृत गोदनामा निस्पादित किया था जबकि अपीलार्थी के वहिन सुप्यारी पुत्री गोपीराम पत्नी रामूराम की मृत्यु दिनांक 28.03.2023 को हो चुकि थी। जिससे स्पष्ट है कि सुप्यारी ने अपने जीवनकाल में प्रत्यर्थी संख्या 2 प्रहलाद पुत्र पूर्णाराम को गोद नहीं लिया था। प्रत्यर्थी का यह [illegible] है कि प्रत्यर्थी को सुप्यार एवं सुप्यार के पति ने सामाजिक रिति–रिवाज [illegible] गोद [illegible] या था। प्रत्यर्थी ग्रामीण परिवेश के अनपढ व कानून की ज्यादा जानकारी नहीं [illegible] से गोद का पंजियन नहीं करा सकें जबकि सुप्यार के मृत्यु के पश्चात प्रत्यर्थी को जरिये रजिस्टर्ड गोदनामा रामूराम ने गोद लेकर तुरन्त नामन्तकरण की कार्यवाही [illegible] गई जो कि उचित प्रतित होती है उक्त बिना किसी जांच के जल्दबाजी में किया गया प्रतित होता है। विधि के

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Mohan Bhati
Date: 2026.04.10 15:33:11 IST
Reason: SelfAttested

vikas
उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

अनुसार सुप्यारी के फौत होने के पश्चात् सुप्यारी के पति द्वारा गोद लिया गया पुत्र प्रहलाद, सुप्यारी की पैत्रक सम्पति का हकदार नहीं है वह मात्र अपने दत्तक पिता रामूराम की पैत्रक सम्पति में हकदार है। अतः सुप्यारी की पैत्रक सम्पति में सुप्यारी के गोदीपुत्र की हैसियत से भरा गया नामान्तकरण निरस्त किये जाने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के अनुसार अपीलान्ट की अपील स्वीकार की जाती है।

—:: **आदेश** ::—

अपील अपीलान्ट स्वीकार कर सरहद निम्बी खुर्द के खसरा संख्या 257, 459/494, 461, 503/457, 511/457 से सम्बन्धित नामान्तरकरण संख्या सं0 222 दिनांक 30.04.2024 में पारित ग्राम पंचायत निम्बी खुर्द का अपीलाधीन "स्वीकृत आदेश" निरस्त किया जाता है। ग्राम पंचायत निम्बी खुर्द के खसरा संख्या 257, 459/494, 461, 503/457, 511/457 भूमि में पुनः अवलोकन उपरान्त अपीलान्ट के नामान्तकरण की कार्यवाही करावें।

(विकास मोहन भाटी, R.A.S.)
सहायक कलक्टर
डीडवाना

उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

निर्णय आज दिनाँक 30.03.2026 को सरे ईजलास में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

(विकास मोहन भाटी, R.A.S.)
सहायक कलक्टर
डीडवाना

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Mohan Bhati
Date: 2026.04.10 15:33:11 IST
Reason: SelfAttested